



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक- 29.01.2026

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 40/2026 धारा 304(2) बी.एन.एस में वांछित अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा एक मो0साइकिल रजिन0-UP-17AA-8060 व छीना हुआ पर्स बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.01.2026

को थाना बडौत पर वादी श्री अजय कुमार पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी सरूरपुर कला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक



की पत्नी का पर्स जिसमें 3500 रुपये व एक जोड़ी कान के कुण्डल तथा आधार कार्ड हाथ से छीन लिया । इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 40/2026 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की बढ़ोत्तरी की गई है ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 40/2026

धारा 304(2) बी.एन.एस में वांछित अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा एक मो0साइकिल रजिन0-UP-17AA-8060 व छीना हुआ पर्स बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटनास्थल- कोताना रोड पर मेडिसिटी हॉस्पिटल के पास।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

निशान्त उर्फ अभिराज पुत्र बिहू उर्फ रामअवतार निवासी कौताना रोड कस्वा व थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर।
- घटना में प्रयुक्त एक मो0साइकिल रजिन0-UP-17AA-8060
- छीना हुआ पर्स जिसमें 01 आधार कार्ड 01 पैन कार्ड। (मु0अ0सं0 40/26

धारा 304(2) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत)

गिरफ्तार अभियुक्त निशान्त उर्फ अभिराज का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 40/26 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत।

2- मु0अ0सं0 75/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आम्र्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री संजीव चौधरी थाना बडौत जनपद बागपत।

2-उ0नि0 आशीष चौधरी थाना बडौत जनपद बागपत।

3-का0 982 नीरज जादौन थाना बडौत जनपद बागपत।

4-का0 420 राशिद थाना बडौत जनपद बागपत।

5-है0का0 233 गौतम थाना बडौत जनपद बागपत।

6-है0का0 813 प्रदीप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंधावली अहीर दिनांक- 29.01.2026

थाना सिंधावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की 01 बैटरी, चोरी करने के उपकरण तथा 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंधावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी की 01 बैटरी, चोरी करने के उपकरण तथा 01 अवैध तमंचा



.315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ हैं।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंधावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1. अमित कुमार पुत्र सुभाष निवासी ग्राम बरसिया थाना सिंधावली अहीर जनपद बागपत ।

2. सोनू पुत्र चरने निवासी ग्राम बरसिया थाना सिंधावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर ।

- 01 बैटरी (संबंधित मु0अ0सं- 394/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिनौली बागपत)
- चोरी करने के उपकरण -01 प्लास, 01 पेचकश, 01 लोहा काटने का आरी का ब्लैड व 01 सब्बल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिह थाना सिंधावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री धीर सिंह थाना सिंधावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3- है0का0 546 विपिन कुमार थाना सिंधावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4- का0 552 नीरज कुमार थाना सिंधावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5- का0 408 सुमित सिरोही थाना सिंधावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनांक- 29.01.2026

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 66/26 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 66/26 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट- अपहृता को दिनांक 28.01.2026 को बरामद किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

रिजवान पुत्र निजाम उर्फ नाजिम निवासी आर्यपुरी कर्स्बा व थाना कैराना जनपद शामली उम्र करीब 24 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राजकुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 14 अश्वनी कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0433 गौरव थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 29.01.2026

बागपत पुलिस ने 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- दीपक पुत्र रमेश निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2- रविन्द्र कुमार पुत्र सोमे उर्फ सोमपाल निवासी चौहल्दा थाना व जनपद बागपत ।
- 3- अर्जुन पुत्र लोकेश निवासी ग्राम पावला बेगमाबाद थाना व जनपद बागपत ।
- 4- मनोज पुत्र रणधीर निवासी ग्राम पावला थाना व जनपद बागपत ।
- 5- हरेन्द्र उर्फ हरिया पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 6- सुनील कुमार पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम पेलखा थाना गढ़ी पुख्ता जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थाना छपरौली पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 2- थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम । (03 वारंटी)
- 3- थाना खेकडा पुलिस टीम । (02 वारंटी)

